राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांकः— एफ 7(535)परि/नियम/मु/2014/29141 जयपुर, दिनांकः— 06/02/17

कार्यालय आदेश ...06.../2017

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की उप—धारा (3) की धारा 109 के तहत् केन्द्रीय सरकार द्वारा दिनांक 03.10.2012 को Central Motor Vehicles (Accreditation Of Bus Body Builders) Order, 2012 जारी किया गया। इसके तहत प्रत्येक बस बोडी बिल्डर को केन्द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 126 में वर्णित किसी एजेन्सी से Accreditation Certificate प्राप्त करना अनिवार्य है। यह सर्टिफिकेट ऐसे बोडी बिल्डर निर्माताओं के लिए आवश्यक है जिनके द्वारा वाहन चालक को छोडकर 13 या इससे अधिक यात्री क्षमता के वाहनों का निर्माण किया जाता है।

2. केन्द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के उप—नियम (1) के नियम 125C की अनुपालना हेतु सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा दिनांक 18.01.2016 को अधिसूचना जारी की गई तथा दिनांक 01.04.2016 के पश्चात ऐसी बस जिसकी बैठक क्षमता वाहन चालक को छोडकर 13 अथवा इससे अधिक है की बोडी निर्माण के लिए AIS:052 (Rev-1)-2008 में वर्णित मानकों की पालना अनिवार्य है। इसके परिणामस्वरूप किसी भी यात्री परिवहन वाहन/बस के पंजीयन हेतु बस बोडी निर्माता को बसों के पंजीयन के समय फोर्म 22A के भाग II में केन्द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 126 में वर्णित किसी एजेन्सी से प्राप्त एक्रीडियेशन सर्टिफिकेट नम्बर मय इसकी वैधता तिथि एवं बस बोडी Type Approval Certificate (TAC) का नम्बर एवं TAC जारी करने वाली एजेंसी का उल्लेख क्रमशः फोर्म नम्बर 22A भाग II के क्रम संख्या 4 एवं 5 पर करने के उपरांत जारी करना अनिवार्य है। फोर्म 22A पार्ट II के अभाव में ऐसे वाहन का पंजीयन नहीं किया जा सकता है।

3. सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा दिनांक 20.09.2016 को एक अधिसूचना संख्या GSR 895(E) जारी कर AIS:052 के प्रावधानों को दो चरणों में लागू करने का प्रावधान किया गया है। प्रथम चरण दिनांक 01.01.2017 से एवं द्वितीय चरण 01.01.2018 से प्रभावी किया गया है। जारी की गई अधिसूचना की प्रति इस आदेश के परिशिष्ट 1 पर संलग्न है।

4. सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा नियम 125C(1) में किये गये संशोधन, दिनांक 20.09.2016 को जारी अधिसूचना एवम् Central Motor Vehicles (Accreditation Of Bus Body Builders) Order, 2012 के प्रावधानों की अनुपालना सुनिश्चित करने को लेकर जिला परिवहन अधिकारियों/पंजीयन अधिकारियों के मध्य बसों के पंजीयन के संबंध में भ्रम की स्थिति बनी हुई है। अतः इस संदर्भ में AIS:052 (Rev-1)-2008, दिनांक 20.09.2016 को सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना तथा Bus Body Order,

2012 का विभाग के स्तर पर गहन परीक्षण किया गया है ताकि पंजीयन अधिकारियों के मध्य इन बसों के पंजीयन को लेकर व्याप्त भ्रम की स्थिति का निवारण किया जा सके। उपरोक्त के परीक्षण से निम्न तथ्य दृष्टिगोचर हो रहें हैः–

(1) AIS:052 कोड का क्लोज 1.0 जो बस बोडी कोड के स्कोप से संबंधित है में कतिपय श्रेणी की बसों जिनका विवरण नीचे दिया गया है के लिए यह स्पष्ट किया गया है कि इस श्रेणी वाले वाहनों पर बस बोडी डिजाईन एवं अप्रूवल के प्रावधान अलग से निर्धारित किये जायेंगे तथा ये प्रावधान इन श्रेणी के वाहनों परु अधिसूचित दिनांक से प्रभावी होंगे। AIS:052 में वर्णित ऐसे श्रेणी में आने वाले वाहन निम्नानुसार हैः–

A. High Capacity Buses like
   i. Double Decker Bus
   ii. Articulated Bus
   iii. Double Deck Articulated Bus
B. Special Purpose Buses like
   i. Sleeper Coach
   ii. School Bus (AIS:063:2005 अधिसूचित किया जा चुका है)
   iii. Tourist Bus
   iv. Prison vehicles
   v. Vehicles specially designed for the carriage of injured or sick persons (Ambulances) [AIS:125(Part I)-2014 अधिसूचित किया जा चुका है जो 01. 04.2018 से प्रभावी होगा]
   vi. Off road vehicles
   vii. Vehicle Designed for use by Police, Security and Armed Forces

(2) इस कोड के क्लोज संख्या 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7 एवं 1.1.8 के तहत बसों का वर्गीकरण क्रमशः टाईप I, टाईप II, टाईप III एवं टाईप IV श्रेणीयों में किया गया है। यहां यह उल्लेखनीय है कि टाईप IV श्रेणी की बसों में उन वाहनों को शामिल किया गया है जो विशिष्ट डिजाईन के अनुरूप विशिष्ट उद्देश्यों के लिए निर्मित की गई हो तथा इस श्रेणी में स्कूल बस, स्लीपर कोच, टूरिस्ट बस इत्यादि सम्मिलित हैं।

(3) केन्द्रीय सरकार द्वारा ऊपर वर्णित बिन्दू सं. (1) में वर्णित कुछ श्रेणी के वाहनों हेतु मानको का निर्धारण कर इनके प्रभावी होने की तिथि भी अधिसूचित की जा चुकी है।

(क) स्कूल बसों की बोडी का Testing and approval AIS:063:2005 (यथा संशोधित) के अनुरूप होगी।

(ख) मोटर कारवां (motor caravans) का type approval AIS:124:2014 के अनुरूप होगा तथा यह प्रावधान दिनांक 01.04.2018 के पश्चात् निर्मित वाहनो पर लागू होगा [G.S.R. 863 (E) दिनांक 08.09.2016]

(ग) 'L' एव 'M' श्रेणी की रोड ऐंबुलेंस (Road Ambulance) का type approval AIS:125(Part I)-2014 के अनुरूप होगा तथा यह प्रावधान दिनांक 01.04.2018 के बाद निर्मित वाहनों पर लागू होगा [G.S.R. 863 (E) दिनांक 08.09.2016]

(घ) स्लीपर कोच के लिए testing and type approval AIS-119(Rev1):2016 के अनुरूप प्रस्तावित करने के प्रारूप का प्रकाशन MoRTH द्वारा किया गया है परन्तु चूंकि इसका अंतिम प्रकाशन अब तक नहीं हुआ है अतः इन वाहनों पर भी AIS:052 प्रभावी नहीं है।

अतः उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि स्कूल बसों की वाहनों हेतु AIS-063:2005 के मानक प्रभावी हो चुके हैं। वंही मोटर कारवां एवं Road Ambulance जो Type IV श्रेणी के वाहनों पर दिनांक 01.04.2018 से क्रमशः AIS-124:2014 एवम् AIS-125 (Part I)-2014 के मानक प्रभावी हो जाऐंगे। तथा sleeper coach के लिये AIS-119(Rev 1)-2016 के मानक भविष्य में प्रभावी होने की संभावना है।

(4) बस बोडी कोड में केवल टाईप I, टाईप II एवं टाईप III श्रेणी के वाहनों के लिए ही मानकों का निर्धारण किया गया है। टाईप IV के कुछ वाहनों को छोड कर शेष वाहनों हेतु मानक निर्धारित नहीं किये गये हैं।

(5) यह स्पष्ट है कि दिनांक 20.09.2016 को जारी अधिसूचना के तहत प्रथम चरण में इस अधिसूचना की सारणी में वर्णित जांच एवं कुछ अतिरिक्त तकनिकी उपबन्धों (Additional Technical Provisions) से दिनांक 31.12.2017 तक छूट प्रदान की गई है। जिन उपबन्धो से छूट प्रदान की गई है उनका विवरण **परिशिष्ट 1** में दिया गया है। इसके तहत AIS:052 के क्लोज 1.0, 3.1, 3.2, 3.6, 3.6.5.5, 3.10, कोड के अध्याय 6 एवं कोड में दिये गये Annexure 1 में वर्णित सारणी जिसका शिर्षक "details about safety critical components/systems" है के उपबन्धों से प्रथम चरण में छूट दी गई है। अर्थात् यह स्पष्ट है कि बस बोडी निर्माताओं को body structure strength, body structure stability, window retention, window frames, test methods इत्यादि से प्रथम चरण में छूट प्रदान की गई है। वंही प्रथम चरण में बस बोडी कोड AIS:052 के अध्याय 7 जो कि बस टाईप अप्रूवल एवं COP Procedure से संबंधित है में छूट प्रदान नहीं की गई है। अतः ऐसी दशा में प्रत्येक बस बोडी निर्माता के लिए authorised agency से टाईप अप्रूवल सर्टिफिकेट प्राप्त करना अनिवार्य है।

(6) AIS:052 के मानक दिनांक 20.09.2016 को जारी अधिसूचना के अनुसरण में दो चरणो में लागू होगे, प्रथम चरण दिनांक 01.01.2017 से एवं दूसरा चरण जो दिनांक 01.01.2018 से प्रभावी होगा। अतः AIS:052 के सभी मानक टाईप I, टाईप II एवं टाईप III श्रेणी की बसों पर बस बोडी कोड AIS:052 दिनांक 01.01.2018 से प्रभावी हो जायेंगे।

5. ऊपर वर्णित तथ्यों के विवेचन एवं परीक्षण करने के उपरान्त बसों के पंजीयन के संबंध में सभी पंजीयन अधिकारियों को निम्नानुसार निर्देशित किया जाता है:—

(1) AIS:052 के प्रावधान चालक को छोडकर 13 सीट तक की यात्री बसों पर लागू नहीं है। अतः इस श्रेणी के वाहनों का पंजीयन पूर्व की भांती यथावत किया जावेगा।

(2) केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी Central Motor Vehicles (Accreditation Of Bus Body Builders) Order, 2012 के तहत सभी बोडी निर्माताओं जो वाहन चालक को छोडकर 13 या इससे अधिक बैठक क्षमता की वाहनों का निर्माण का कार्य करते हैं के लिए केन्द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 126 के तहत अधिकृत किसी एजेन्सी से Accreditation Certificate प्राप्त करना अनिवार्य है।

(3) निम्न श्रेणी के यात्री वाहनों/बसों पर AIS:052 के प्रावधान तब तक प्रभावी नहीं होंगे जब तक ऐसे वाहनों हेतु केन्द्र सरकार द्वारा अलग से मापक अधिसूचित नहीं किये जाते है:—

A. High Capacity Buses like
   i. Double Decker Bus
   ii. Articulated Bus
   iii. Double Deck Articulated Bus
B. Special Purpose Buses (Type IV) like
   i. Sleeper Coach
   ii. Tourist Bus
   iii. Prison vehicles
   iv. Off road vehicles
   v. Vehicle Designed for use by Police, Security and Armed Forces

पंजीयन अधिकारी द्वारा ऊपरोक्त श्रेणी के वाहनों के पंजीयन के समय बोडी निर्माताओं से केन्द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में वर्णित फोर्म नम्बर 22A का भाग II प्राप्त किया जायेगा तथा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इस फार्म के क्रम संख्या 4 पर बोडी निर्माता के Accreditation Certificate का पंजीयन क्रमांक मय वैधता अवधि अंकित हो। अतः ऊपर वर्णित वाहनों के लिए निर्माता द्वारा जारी फार्म 22A भाग II के प्राप्त होने पर ऐसे वाहनों का पंजीयन किया जा सकेगा। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे उपरोक्त श्रेणी के वाहन के बोडी निर्माता के लिए टाईप अप्रूवल

सर्टिफिकेट प्राप्त करना आवश्यक नहीं है क्योंकि इन वाहनों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा मानको का निर्धारण नही किया गया है।

(4) पंजीयन अधिकारी द्वारा दिनांक 01.04.2018 से पूर्व निर्मित Road Ambulance एवं motor caravan के पंजीयन का कार्य दिनांक 31.03.2018 तक ऊपर वर्णित बिन्दू सं. (3) मे वर्णित फार्म सं. 22A का भाग II बोडी निर्माता से प्राप्त करने के उपरांत किया जा सकेगा। परन्तु 01.04.2018 के पश्चात् इन वाहनों का पंजीयन तभी किया जाये जब इस श्रेणी के वाहनों के बोडी निर्माता द्वारा authorised agency से type approval certificate प्राप्त कर लिया गया हो एवं इसका उल्लेख भी उसके द्वारा जारी फार्म 22A के भाग II के क्रम संख्या 4 एवं 5 पर अंकित कर दिया गया हो।

(5) पंजीयन अधिकारी द्वारा ऊपर वर्णित बिन्दू संख्या (3) एवं (4) में वर्णित वाहनों के अतिरिक्त शेष सभी यात्री वाहनों/बसों एवं स्कूल बसों का पंजीयन उसी अवस्था में किया जायेगा जहां बोडी निर्माताओं द्वारा ऐसे वाहनों के पंजीयन के समय केन्द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में वर्णित फोर्म नम्बर 22A का भाग II के क्रम संख्या 4 एवं 5 में बोडी निर्माता द्वारा उसे जारी Accreditation Certificate का पंजीयन क्रमांक मय वैधता अवधि के अंकित हो तथा फार्म के क्रम सं. 5 जिसमें Bus body type approval certificate (TAC) नम्बर मय दिनांक एवं Approving testing agency जिसके द्वारा उसे TAC जारी किया गया है, के नाम का उल्लेख हो, प्राप्त कर ऐसे यात्री वाहन/बस का पंजीयन किया जा सकता है।

उक्त आदेशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित की जाये।

(शैलेन्द्र कुमार अग्रवाल)
परिवहन आयुक्त एवं
प्रमुख शासन सचिव

क्रमांकः– एफ 7(535)परि/नियम/मु/2014/29142-47 जयपुर, दिनांकः– 06/02/17

1. विशिष्ट सहायक, माननीय परिवहन मंत्री, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सहायक, प्रमुख शासन सचिव एवं परिवहन आयुक्त।
3. समस्त मुख्यालय अधिकारीगण।
4. समस्त प्रादेशिक/अति. प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी।
5. श्री संजय सिंघल, सिस्टम एनालिस्ट को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली।

अपर परिवहन आयुक्त (नियम)

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 657] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 20, 2016/भाद्र 29, 1938

No. 657] NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 20, 2016/BHADRA 29, 1938

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 सितम्बर, 2016

सा. का. नि. 895(अ).— केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 का प्रारूप नियम मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 212 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3 उपखंड (i) में, भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 531(अ), तारीख 18 मई, 2016 के अधीन प्रकाशित किया गया था, जिसमें उन सभी व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको भारत के राजपत्र में प्रकाशित रूप में उक्त अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, तीस दिन की समाप्ति के पूर्व आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे ;

और उक्त अधिसूचना की प्रतियां तारीख 18 मई, 2016 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं ;

और उक्त प्रारूप नियमों पर प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार ने विचार कर लिया है ;

अतः, अब, केंद्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 110 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय मोटर यान (बारहवां संशोधन) नियम, 2016 है।
   (2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 125ग के, उपनियम (1) के परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

"परंतु इस नियम के उपबंध दो चरणों में कार्यान्वित होंगे।

प्रथम चरण में, एआईएस 052 (आरईवी.1)-2008 के उपबंध, नीचे सारणी 1 में दिए गए पैरामीटर और अपेक्षाएं को छोड़कर, 1 जनवरी, 2017 को और उसके पश्चात् लागू होंगे।

दूसरे चरण में, जो समय-समय पर यथासंशोधित एआईएस-052 (आरईवी.1)-2008 के उपबंध, और नीचे सारणी-1 में दिए गए पैरामीटर तथा अपेक्षाएं, 1 जनवरी, 2018 को और उसके पश्चात् लागू होंगे।"

सारणी-1

(दूसरे चरण के लिए एआईएस:052 (आरईवी-1) के अतिरिक्त तकनीकी उपबंध)

क्रम सं.	जांच/पैरामीटर की प्रकृति	एआईएस-052 (आरईवी.1) के विनिर्दिष्ट खंडों की अपेक्षाएं
(1)	(2)	(3)
1.	विस्तार और परिभाषा (जैसा लागू हो)	1.0
2.	बाडी संरचना सामर्थ्य	3.1
3.	बाडी संरचना स्थिरता	3.2
4.	खिड़की प्रतिधारण	3.6
5.	खिड़की की चौखटें	3.6.5.5
6.	विंड स्क्रीन वाईपिंग प्रणाली और चालक की दृष्टि का क्षेत्र	3.10
7.	परीक्षण पध्दति (जैसा लागू हो)	अध्याय 6
8.	डिप्ड-बीम हैड लैंप के लिए ऊर्ध्व अभिविन्यास	उपाबंध-1, शीर्षक सहित सारणी "सुरक्षा क्रांतिक घटकों/प्रणालियों का ब्यौरा।"
9.	आसर लंगर सीट	

[फा. सं. आरटी-11028/02/2013-एमवीएल]

अभय दामले, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 590(अ), तारीख 2 जून, 1989 को प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार अधिसूचना सं. 889(अ), तारीख 16.09.2016 को संशोधित किए गए।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th September, 2016

G.S.R. 895(E).—WHEREAS the draft rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, were published, as required under sub-section (1) of section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), vide notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number G.S.R. 531 (E), dated the 18th May, 2016 in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i) inviting objections and suggestions from affected persons before the expiry of the period of thirty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

WHEREAS, copies of the said Gazette notification were made available to the public on the 18th May, 2016;

AND WHEREAS, the objections and suggestions received from the public in respect of the said draft rules have been considered by the Central Government;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, namely: —

1. (1) These rules may be called the Central Motor Vehicles (Twelfth Amendment) Rules, 2016.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Motor Vehicles Rules, 1989, in rule 125C, in sub-rule (1), for the proviso, the following shall be substituted, namely:-

"Provided that the provision of this rule shall be implemented in two phases.

In first phase, the provisions of AIS 052(Rev. 1) – 2008, excluding the parameters and requirements given in Table-1 below, shall be applicable on and after 1st day of January, 2017.

In second phase, the provisions of AIS-052(Rev. 1) – 2008, as amended from time to time, and the parameters and requirements given in (Table-1) below, shall be applicable on and after 1st day of January, 2018.

(Table -1)

(Additional Technical Provisions of AIS: 052(Rev-1))

Sr. No.	**Nature of Test / Parameters**	**Requirements of Specific Clauses of AIS-052 (Rev.1)**
(1)	(2)	(3)
1.	Scope and Definitions (As applicable)	1.0
2.	Body Structure Strength	3.1
3.	Body Structure Stability	3.2
4.	Window Retention	3.6
5.	Window Frames	3.6.5.5
6.	Wind Screen Wiping System and Driver's field of Vision	3.10
7.	Test Methods (As applicable)	Chapter 6
8.	Vertical orientation for dipped beam - head lamp	Annexure I, Table with title "Details about Safety Critical Components / Systems."
9.	Seat Anchorages	

[F. No. RT-11028/02/2013-MVL]

ABHAY DAMLE, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India , Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i) vide number G. S. R. 590(E) dated the 2nd June, 1989 and last amended vide number G.S.R. 889(E) dated the 16.09.2016.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

HARINDRA KUMAR

Digitally signed by HARINDRA KUMAR
Date: 2016.09.21 13:26:50 +05'30'